



केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

6वां, 7वां एवं 8वां तल, टावर-बी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर,
नौराजी नगर, नई दिल्ली - 110029

याचिका सं. 426 / टीएल / 2024

दिनांक: 20.1.2025

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

नवीनल ट्रांसमिशन लिमिटेड, सी-105, आनंद निकेतन, नई दिल्ली-110021 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्थापित, प्रचालन और अंतरण आधार पर "क्षेत्र में विद्युत के आहरण के लिए गुजरात के नवीनल (मुंद्रा) क्षेत्र में नेटवर्क विस्तार योजना" (जिसे इसके पश्चात "परियोजना" कहा गया है) के लिए पारेषण परियोजना स्थापित करने हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धारा 14 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीधों
1.	2x330 एमवीएआर, 765 केवी और 1x125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टरों के साथ 4x1500 एमवीए, 765 / 400 केवी नवीनल (मुंद्रा) एस / एस (जीआईएस) की स्थापना: <ul style="list-style-type: none"> • 765 / 400 केवी, 1500 एमवीए आईसीटी- 4 नंबर (एक स्पेयर आईसीटी यूनिट के साथ 13x500 एमवीए सिंगल फेज यूनिट) • 765 केवी आईसीटी बे- 4 नंबर • 400 केवी आईसीटी बे- 4 नंबर • 765 केवी लाइन बे- 4 नंबर • 1x330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर- 2 नंबर (बस / लाइन रिएक्टर के लिए एक स्पेयर यूनिट के साथ 7x110 एमवीएआर सिंगल फेज रिएक्टर) • 765 केवी बस रिएक्टर बे- 2 नंबर • 125 एमवीएआर, 420 केवी रिएक्टर- 1 नंबर • 400 केवी रिएक्टर बे- 1 नंबर 	21 मास (14.7.2026)
	मावी प्रावधान (निम्नलिखित के लिए स्थान): <ul style="list-style-type: none"> ➤ बे के साथ 765 / 400 केवी आईसीटी- 5 नंबर ➤ स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के साथ 765 केवी लाइन बे- 6 नंबर ➤ बे के साथ 765 केवी बस रिएक्टर: 2 नंबर ➤ 765 केवी सेवशनलाइज़ेशन: 1-सेट ➤ स्विचेबल लाइन रिएक्टरों के साथ 400 केवी लाइन बे- 10 नंबर (नोट के अधीन उत्तिलिखित एमयूएल-नवीनल (मुंद्रा) (जीआईएस) 400 केवी 2xडी / सी लाइन के लिए 4 नंबर बे के अलावा) ➤ बे के साथ 400 / 220 केवी आईसीटी- 6 नंबर ➤ बे के साथ 400 केवी बस रिएक्टर: 3 नंबर ➤ 400 केवी सेवशनलाइज़ेशन बे: 1-सेट ➤ 220 केवी लाइन बे: 10 नंबर ➤ 220 केवी सेवशनलाइज़ेशन बे: 1 सेट ➤ 220 केवी बीसी और टीबीसी: 2 नंबर ➤ एमएससी (2x125 एमवीएआर) और एमएसआर (1x125 एमवीएआर) और संबंधित बे के साथ स्टेटकॉम (± 300 एमवीएआर)- 2 नंबर 	
2	नवीनल (मुंद्रा) (जीआईएस) एस / एस पर संबद्ध बे के साथ नवीनल (मुंद्रा) (जीआईएस) एस / एस पर भुज-॥- लकाडिया 765 केवी डी / सी लाइन	
3	लकाडिया - नवीनल 765 केवी डी / सी लाइन (लीलो से अंधिक के बाद निर्मित) के नवीनल छोर पर प्रत्येक सीकेटी पर 1x330 एमवीएआर स्विचेबल लाइन रिएक्टर का संस्थापन <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1x330 एमवीएआर, 765 केवी स्विचेबल लाइन रिएक्टर- 2 नंबर ➤ 765 केवी लाइन रिएक्टर के लिए स्विचिंग इविचपमेंट - 2 नंबर 	

नोट:

- (1) बन-एंड-हाफ ब्रेकर योजना में डायमीटर (जीआईएस) के समापन के लिए आवश्यक बे भी टीएसपी द्वारा निष्पादित की जाएगी।
- (2) टीएसपी, नवीनल (मुंद्रा) (जीआईएस) के 765 केवी स्तर पर पांच पूर्ण डायमीटर को कार्यान्वित करेगा, जिसमें बन-एंड-हाफ ब्रेकर योजना में डायमीटर (जीआईएस) को पूरा करने के लिए आवश्यक 2 मेन बे और 1 टाई बे शामिल होंगे। (4 आईसीटी बे+1 लाइन बे+2 बस रिएक्टर बे)
- (3) इसके अतिरिक्त टीएसपी, नवीनल (मुंद्रा) (जीआईएस) के 400 केवी स्तर पर चार पूर्ण डायमीटर भी कार्यान्वित करेगा, जिसमें बन-एंड-हाफ ब्रेकर योजना में डायमीटर (जीआईएस) को पूरा करने के लिए आवश्यक 2 मेन बे और 1 टाई बे शामिल होंगे। (4 आईसीटी बे+1 बस रिएक्टर बे+डाय पूरा करने के लिए 3)
- (4) 400 / 220 केवी एमयूएल (वितरण अनुज्ञितिधारी) एसएस के साथ नवीनल (मुंद्रा) एस / एस (जीआईएस) के अंतरसंयोजन के लिए निम्नलिखित कार्य का दायरा एमयूएल के दायरे के अधीन है (इसका निर्माण और रखरखाव अनुज्ञितिधारी द्वारा एसी इकाई की लागत पर किया जाएगा) और इसे उसी समय सीमा में लागू किया जाना आवश्यक है
 - एमयूएल-नवीनल (मुंद्रा) (जीआईएस) 400 केवी 2xडी / सी (टिवन एचटीएलएस- क्वाड मूस समकक्ष) और केसीएल, एमयूएल को विद्युत की निकासी के लिए एमयूएल के 400 / 220 केवी सबवर्टेशन के साथ अंतरसंयोजित किया जाएगा।
 - एमयूएल, नवीनल छोर पर बन-एंड-हाफ ब्रेकर योजना में 2 मेन बे और 1 टाई बे से युक्त एक पूर्ण डायमीटर (जीआईएस) कार्यान्वित करेगा क्योंकि डाय को पूरा करने के लिए टीएसपी द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे स्पेयर बे में 3-लाइन बे को समाप्त किया जा सकता है।
 - वितरण अनुज्ञितिधारी एमयूएल छोर पर 4 नं. 400 केवी लाइन बे।
2. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 30.10.2024 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली स्थापित करने के लिए पारेषण अनुज्ञित प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।
3. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के अधार पर, आयोग ने याचिका सं. 426 / टीएल / 2024 में दिनांक 18.1.2025 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में योग्यतालिखित पारेषण योजना की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञित जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।
4. नवीनल ट्रांसमिशन लिमिटेड को अंतरराज्यिक प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलम्बनकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.adanienergysolutions.com पर देखा जा सकता है या नियारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित किया जा सकता है।
5. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञित प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 4.2.2025 तक अद्योहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनियोगित तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।
6. आयोग द्वारा दिनांक 6.2.2025 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए / डीए नहीं हस्ता/- (हरप्रीत सिंह पृथी) सचिव